न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– रिछपाल सिंह बुरड़क आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 57/23 (223 आर.टी.एक्ट)
जीसीएमएस नम्बर :– 2023/167

उनवान

रामसिंह पुत्र कलुआ जाति ठाकुर निवासी कनवाड़ी तहसील कामां जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट/प्रतिवादी

बनाम

1. मानसिंह
2. जगन्नाथ } पिसरान स्व. बनैसिंह
3. रामचन्द्र
4. सौमोता
5. पिंकी } पुत्रीयान स्व. बनैसिंह
6. गोला
7. सुरेश
8. दुर्गा } पिसरान स्व. गोपाल
9. वालकिशन
10. रेवती पत्नी स्व. गोपाल
11. मीना
12. राजकुमारी } पुत्रीयान स्व. गोपाल
13. मीरा

जाति ठाकुर निवासी गॉव कनवाडी तहसील कामां जिला भरतपुर।

.....वादी रेस्पोडेन्ट्स

14. छज्जूराम पुत्र भौंरा
15. श्रीमति गुड्डी पत्नी सुरेश कुमार } जाति ठाकुर निवासी कनवाडी तहसील कामां जिला भरतपुर।

16. असरु पुत्र अन्नू
17. नसरु पुत्र अन्नू
18. जम्मी पुत्र अन्नू
19. मिज्जन पुत्र आसीन
20. तैयव हुसैन पुत्र आसीन
21. जैकम पुत्र मूसा
22. हक्कू पुत्र मूसा
23. सौकत पुत्र मूसा
24. अरसद पुत्र मूसा
25. मज्जह पुत्र मूसा

जाति मेव निवासी कनवाड़ा तहसील कामां जिला भरतपुर।

26. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कामां जिला भरतपुर हाल डीग।
27. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा कामां।
28. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बडौदा शाखा कामां जिला भरतपुर।
29. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा डीग।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

.....फोरमल प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट्स

30. भनकू पुत्र केदर कौम मेव निवासी ग्राम परेही तहसील कामां जिला भरतपुर।
31. जुहरी पत्नी भनकू कौम मेव निवासी परेही तहसील कामां जिला भरतपुर।
32. प्रेम पत्नी उदयसिंह कौम भाट निवासी ग्राम कनवाडी तहसील कामां
33. श्रीमती गीतादेवी पत्नी लाजपतरायपुरी
34. श्रीमती पुष्पा पत्नी भगवानपुरी

} जाति गुसाई नि0 फिरोजपुर तहसील पलवल जिला फरीदावाद

35. श्रीमती सीमा पत्नी नकलपुरी जाति गुसाई निवासी फिरोजपुर तहसील पलवल जिला फरीदाबाद
36. गंगा पत्नी स्व. हुकम
37. उत्तम
38. संजय
39. राजू
40. वनवारी
41. मनोज

} पिसरान स्व. हुकम } जाति ठाकुर निवासी गॉव कनवाडी तहसील कामां जिला भरतपुर।

.....प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध मु.स. 333/06 बउनवानी गोपाल बनाम रामसिंह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.06.2015 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कामां, दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.एक्ट

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री पुरुषोत्तम मुदगल उपस्थित।
2. वकील रेस्पोडेन्ट सं. 2,3,7,8,9 श्री सोनीराम शर्मा उपस्थित।

निर्णय दिनांक : 05.05.2026

1. अपीलांट ने यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कामां द्वारा मु.स. 333/06 बउनवानी गोपाल बनाम रामसिंह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.06.2015, दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.एक्ट के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

2. प्रकरण में संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट/वादी के पिता स्व. गोपाल व स्व. बनैसिंह द्वारा एक दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 विरुद्ध प्रतिवादी/अपीलान्ट व प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट के विरुद्ध बउनवानी गोपाल बनाम रामसिंह इस आशय का प्रस्तुत किया था कि विवादित आराजी मुत. वर्णित मद सं. 2 वादपत्र का विभाजन पक्षकारान के मध्य मुताबिक हिस्सा अच्छी में से अच्छी व बुरी मे से बुरी का किया जाकर लगान व खाता पृथक कायम किया जावे तथा विभाजन से पूर्व कोई भी शख्स रहन–बय–मुन्तकिल न करें, फसल को नष्ट न करें एवं राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में दिनांक 24.02.2012 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार कामां द्वारा कुर्रा रिपोर्ट मंगवाये गये। जिसके बाद तहसीलदार कामां से प्राप्त कुर्रा रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 18.06.2015 को दावा अन्तिम डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट्स को जरिये समन तलब किया गया। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री पुरुषोत्तम मुदगल एवं रेस्पोडेन्ट सं. 2,3,7,8,9 की ओर से अधिवक्ता श्री सोनीराम शर्मा ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर प्राप्त की गयी।

4. विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस में अपने अपील मीमों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अंतिम डिक्री पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि जो कुर्रे अदालत तहत में प्राप्त हुये है वह तहसीलदार कामां द्वारा स्वयं मौके पर जाकर तैयार नहीं किये गये बल्कि पटवारी हल्का द्वारा तैयार कुर्रो को ही तहसीलदार कामां ने अदालत तहत में प्रस्तुत किया। उक्त कार्यवाही प्राथमिक डिक्री के विरुद्ध है। इसलिए उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 18.06.2015 काबिले निरस्तनीये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय कुर्रा रिपोर्ट का अवलोकन नहीं किया गया। कुर्रा रिपोर्ट सभी पक्षकारों की उपस्थिति में तैयार नहीं किये गये है बल्कि वादी/रेस्पोडेन्ट एवं एक–दो पक्षकारों की उपस्थिति में तैयार की गई है। जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। पटवारी हल्का द्वारा प्राथमिक डिक्री के विरुद्ध जाकर कुर्रा रिपोर्ट तैयार की गई है। विवादित आराजी के अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के आधार पर कुर्रा रिपोर्ट तैयार नहीं की गई तथा विभाजन प्रस्ताव नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र सहवास पर बिना सभी पक्षकारों की उपस्थिति के अंतिम डिक्री पारित कर दी। कैम्प कोर्ट में सभी पक्षकार उपस्थित नहीं थे। अधीनस्थ न्यायालय ने प्राप्त कुर्रा रिपोर्ट पर कोई आपत्ति पेश करने का मौका दिये बिना कैम्प कोर्ट में अंतिम डिक्री पारित कर दी। जो काबिल निरस्तनीये है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपने द्वारा अपील निर्धारित समयावधि की देरी से पेश करने पर निवेदन किया कि इस हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया गया है। जिसमें कथन किया गया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा कैम्प कोर्ट में बिना पक्षकारों को सूचित किये हुये पारित किया हुआ है। दिनांक 25.06.2023 को प्रार्थी द्वारा हाल जमाबंदी की नकल लेने पर अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई इस पर प्रार्थी ने दिनांक 26.06.2023 को नकल के लिये आवेदन किया। नकल दिनांक 28.06.2023 को प्राप्त होने पर प्रार्थी होने जानकारी व मिलने नकल से यह अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार कर अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा करते हुये अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस के अन्त में निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री खारिज की जावे।

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी पूर्व में वादीगण/रेस्पोडेन्ट के पूर्वजों की थी जिस पर वादीगण व प्रतिवादीगण बाहिस्सा काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे थे। वादीगण ने प्रतिवादीगण से विवादित आराजी मुत. का विभाजन करने का कई बार कहा लेकिन प्रतिवादीगण ने विभाजन करने से इंकार कर दिया। इसलिए वादीगण/रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा पेश किया था। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत रुप से प्राथमिक डिक्री जारी की गई जिसके आधार पर कुर्रा रिपोर्ट तैयार

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

किये गये। तहसीलदार कामां द्वारा कुर्रा रिपोर्ट विभाजन नियम 18 से 21 की पालना करते हुए तैयार की गई। जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है एवं सभी पक्षकारों को अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के आधार पर विभाजन किया गया है। उक्त कुर्रा रिपोर्ट के आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय पारित किया गया है। जो विधिसम्मत रुप से सही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

7. अपीलान्ट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 08.06.2015 के विरुद्ध न्यायालय हाजा में दिनांक 20.07.2023 को पेश की गई है, जो मियाद बाहर है।

8. चूंकि हस्तगत अपील निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं हुई है अतः सर्वप्रथम हम मियाद के बिन्दू पर विचार करना उचित पाते हैं। अपील पत्रावंली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह जाहिर होता है कि अपीलान्ट प्रार्थी द्वारा अपील के साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में उल्लेखित तथ्यों के विरुद्ध प्रत्यर्थीगण ने न तो कोई जबाब पेश किया है एवं न ही काउन्टर शपथ–पत्र पेश किया है। विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों में यह अवधारित किया गया है कि एक गुणवत्तायुक्त प्रकरण को केवल मियाद के बिन्दु पर निस्तारित नहीं किया जावे। तकनीकी एवं प्रक्रियात्मक बिन्दु न्याय निर्णयन में सहायक होने चाहिए बाधक नहीं। अतः जब प्रकरण गुणवत्ताविहीन नहीं हो, केवल मियाद या समय सीमा के बिन्दु पर प्रकरण अन्तिम रुप से निर्णित नहीं करना चाहिए, गुणावगुणों पर भी एक नजर आवश्यक डाल लेनी चाहिए। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित किया जाना उचित है। अतः अपील में सारभूत कानूनी बिन्दु निहित होने से अपील अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम 1963 में वर्णित तथ्यों के मध्यनजर जानकारी से अपील पेश करना मानते हुए रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है एवं अपीलान्ट द्वारा पेश अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

9. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया एवं अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि रेस्पोडेन्ट/वादीगण स्व. गोपाल व स्व. बनैसिंह ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया था। उक्त प्रकरण में वादीगण/रेस्पोडेन्ट ने यह अनुतोष चाहा था कि विवादित आराजी वर्णित वादपत्र मद सं. 2 वादी व प्रतिवादीगण की सह–खातेदारी की आराजी है। उक्त विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य मुताबिक हिस्सा अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी का विभाजन कर लगान व खाता पृथक–पृथक किये जावे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे। **"अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में दिनांक 24.02.2012 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार कामां से कुर्रा प्रस्ताव रिपोर्ट तैयार करने आदेश प्रदान किये गये जिसके बाद तहसीलदार कामां द्वारा कुर्रा रिपोर्ट प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में पेश किये गये जिसके आधार अधीनस्थ न्यायालय ने कैम्प कोर्ट अटलसेवा केन्द्र सहवास पर रखकर दिनांक 18.06.2015 को अन्तिम डिक्री पारित कर दी।"**

हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कामां के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.06.2015 के विरुद्ध पेश की है। चूंकि यह अपील अन्तिम डिक्री के विरुद्ध ही पेश की गयी है। अन्तिम डिक्री के विरुद्ध पेश अपील में प्रारम्भिक डिक्री की शुद्धता को

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

विवादित नहीं किया जा सकता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 संयुक्त खातेदारी की भूमि होने पर उसके बंटवारे का प्रावधान सह–खातेदारों के मध्य करती है। जिसके प्रावधान निम्नानुसार है :–

धारा 53, जोत का विभाजन :–

(1) विलोपित

(2) जोत का विभाजन निम्नलिखित रीति से किया जाएगा–

(i) सह–अभिधारियों के बीच

(क) जोत के ऐसे विभाजन, और

(ख) उन विभिन्न प्रभागों, जिनमें जोत उक्त प्रकार से विभाजित की जाये, पर लगान के वितरण के बारे में करार द्वारा या

(ii) एक या अधिक सह–अभिधारियों द्वारा जोत के विभाजन के प्रयोजनार्थ और उन विभिन्न प्रभागों, जिनमें वह विभाजित की जाये, पर लगान के वितरण के प्रयोजनार्थ किसी वाद में सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किसी डिक्री या आदेश द्वारा।

(3) लोपित

(4) किसी एक या एक से अधिक जोतों के विभाजन के प्रत्येक वाद में, सभी सह–अभिधारी और भू–धारक पक्षकार बनाये जायेंगे।

(5) एक से अधिक जोतों के विभाजन के लिए एक ही वाद संस्थित किया जा सकेगा बशर्ते कि पक्षकार वे ही हों।

धारा 53 को लागू करने के लिए राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के अध्याय 4 में नियम 18 से 21 में प्रक्रिया निर्धारित की गयी है, जो निम्न प्रकार है:–

जोत विभाजन करने के प्रावधान राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 में किए गए हैं जो निम्न प्रकार हैं :–

(1) नियम 18 – एक जोत के विभाजन तथा लगान के बंटवारे का सह–अभिधारियों द्वारा किया गया करार तहसीलदार के न्यायालय में प्रस्तुत किया जावेगा, जिसकी वहां अधिकारिता है। तहसीलदार उस करार की शर्तों के अनुसार आदेश पारित करेगा और तदनुसार जोत के विभाजन को प्रभावी (लागू) करेगा।

(2) नियम 19 – करार के आधार पर डिक्रित वाद में जोत का विभाजन : यदि जोत के विभाजन के वाद के लंबित रहने के दौरान उस वाद के सह–अभिधारी किसी करार (समझौते) पर आते हैं, तो उस वाद को उस करार की शर्तों के अनुसार डिक्रीत किया जाएगा।

(3) नियम 20 – सक्षम न्यायालय की वाद में दी गयी डिक्री द्वारा जोत का विभाजन नियम 19 में उपबंधित को छोड़कर, एक सक्षम न्यायालय द्वारा किसी एक या अधिक सह–अभिधारी द्वारा लाए गए वाद में, जो जोत के विभाजन और उसके लगान को कई भागों पर जिनमें वह बांटी गई है, वितरण करने के प्रयोजन से लाया गया हो, डिक्री या आदेश द्वारा जोत का विभाजन करने में निम्नलिखित सिद्धान्तों का पालन किया जावेगा–

(क) प्रत्येक पक्षकार को आवंटित भाग का मूल्यांकन उस जोत में उसके हिस्से से आनुपातिक होगा।

(ख) प्रत्येक पक्षकार को आंवटित भाग यथासंभव एक साथ होगा।

(ग) जहां तक संभव हो, किसी पक्षकार को सारी हल्की या सारी उत्तम कोटी की भूमि नहीं दी जाएगी,

(घ) जहां तक संभव हो, विद्यमान खेतों के टुकड़े नहीं किए जाएगें।

(ड) भू–खण्ड जो किसी अभिधारी के अलग कब्जे में है, यथासंभव उनको उस अभिधारी को आवंटित किया जायेगा, यदि वे उसके हिस्से से अधिक नहीं हों।

(4) नियम 21 – नक्शा बनाना और उप–विभाजित खेतों का अंकन (चिन्हित) करना तहसीलदार नक्शा बनायेगा और उसे अभिलेख पर रखेगा, जिसमें प्रत्येक पक्षकार को दिया गया भू–खण्ड अलग–अलग रंगों में दिखाया जाएगा और यदि खेत को उप–विभाजित किया गया है, तो पक्षकारों के खर्चे पर उनके भाग को चिन्हित/अंकित करेगा।

इस प्रकार वाद में सक्षम न्यायालय की दी गई डिक्री (प्रारम्भिक डिक्री) द्वारा जोत का विभाजन करने का प्रावधान नियम 20 व नियम 21 में दिए गए हैं।

इस सम्बन्ध में विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के सम्बन्ध में निम्न न्यायिक विनिश्चयों में यह निर्धारित किया गया है कि :–

2017 RBJ 299 :- कैलाश बनाम रमेश के मामले में माननीय राजस्व मण्डल की वृहदपीठ ने राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 के सम्बंध में निम्न मत व्यक्त किया है :–

1. It is mandatory that complete report to be preposed by Tehsildar himself but he may take assistance of other officials as well.
2. Tehsildar himself go to the site

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

3. Tehsildar will issue notice to all concerned parties that they have to be prepared for pre partition proposals at the site.

इसी न्यायिक दृष्टान्त में यह सिद्धान्त भी प्रतिपादित किया है कि

"The Tehsildar prepare the proposal for division under his own seal and signature, he cannot simply forward the report submitted by ILR, Patwari and draftsman"

अन्तिम डिक्री कुर्रा रिपोर्ट दिनांक 09.06.2015 के अनुसार पारित की गयी है। कुर्रा रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त कुर्रा रिपोर्ट पटवारी हल्का धिलावटी द्वारा तैयार की गई है। हस्तगत जैर अपील में प्राथमिक डिक्री पारित करने के बाद उसकी पालना में कुर्रे रिपोर्ट मंगवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार कामां को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने व रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु मौका कमिशनर नियुक्त किया। तहसीलदार कामां को चाहिए था कि उभयपक्षों को पूर्व में विधिवत सूचना देकर स्वयं मौके पर जाकर उभयपक्षों की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित करते। लेकिन तहसीलदार कामां स्वयं मौके पर नहीं गए। विभाजन प्रस्ताव पटवारी हल्का धिलावटी द्वारा दिनांक 08.06.2015 को तैयार किए गए। क्योंकि कुर्रा प्रस्ताव तहसीलदार कामां को सम्बोधित करते हुए तैयार किये गये है जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त कुर्रा रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर तैयार नहीं की गई है। जबकि तहसीलदार कामां द्वारा स्वयं मौका पर जाकर नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करने चाहिए थे। इस रिपोर्ट को पेश करने से पहले तहसीलदार द्वारा पक्षकारों को नोटिस दिया जाना आवश्यक है कि वह उनकी भूमि सम्बन्धी बंटवारे की रिपोर्ट तैयार कर रहा है जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के अनुसार आवश्यक है। अन्तिम डिक्री पारित होने से पहले दोनों पक्षकारों को इस बात का पता होना चाहिए कि प्रारम्भिक डिक्री के अनुसार मौका कमिश्नर नियुक्ति का आदेश न्यायालय द्वारा दिया गया है और वह किस प्रकार की रिपोर्ट तैयार कर रहा है। पटवारी हल्का द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18–21 के आज्ञापक प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। पटवारी हल्का के विभाजन प्रस्तावों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम डिक्री पारित करने में भूल की गयी है। हमने अधीनस्थ न्यायालय की आदेश संचिका का अवलोकन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 24.02.2012 को प्राथमिक डिक्री जारी की है एवं तहसीलदार कामां को कुर्रे भिजवाने हेतु आदेशित किया है। तहसीलदार को स्वयं मौके पर जाकर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करने चाहिए थे। क्योंकि विधि द्वारा जिस कार्य को जिस प्रकार करने हेतु प्रक्रिया निर्धारित की गयी है उसे उसी अनुसार सम्पादित करना चाहिए या बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का द्वारा तैयार किये गये कुर्रे प्रस्तावों के आधार पर अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि है जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है। अतः विचारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री अपास्त किये जाने योग्य है। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 18.06.2015 को लोक अदालत कोर्ट कैम्प सहवास में पारित किया जाना अंकित किया गया है किन्तु आदेशिका से यह कही प्रकट नहीं होता है कि उभयपक्षों की ओर से प्रकरण को लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु कोई सहमति व्यक्त की गयी हो और विधि स्पष्ट है कि विधि सेवा प्राधिकारी अधिनियम के तहत लोक अदालत में किसी प्रकरण के राजीनामा के आधार पर निस्तारण करने का

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

क्षेत्राधिकार केवल मात्र तब पैदा होता है जब उभयपक्षों की सहमति से प्रकरण को लोक अदालत में रैफर किए जाने का आदेश किसी न्यायालय द्वारा पारित किया गया हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से यह कहीं भी प्रकट नहीं होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण को उभयपक्षों की सहमति से लोक अदालत को रैफर किया हो। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि पत्रावली पर पक्षकारों की ओर से कोई राजीनामा या सहमति का भी कोई दस्तावेज भी मौजूद नहीं है जिससे प्रकट होता हो कि राजीनामा के आधार पर या सहमति के आधार पर प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत द्वारा किया गया हो। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत कोर्ट कैम्प सहवास में पत्रावली रखी जाकर उसका निस्तारण केवल लोक अदालत में अपने द्वारा निस्तारित प्रकरणों की संख्या बढ़ाने के लिए ही किया गया है। इसलिए हम यह उचित समझते हैं कि उभयपक्षों की समुचित सुनवाई हेतु पत्रावली को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायसंगत है।

इस प्रकार नियमों के विपरीत तैयार किए गए विभाजन प्रस्तावों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 18.06.2015 को जारी करने में विधिक त्रुटि एवं तात्विक अनियमितता कारित की है। हमारी राय में विधि विरुद्ध जारी अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 18.06.2015 निरस्त होने योग्य है।

10. अतः उपर्युक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलान्ट आंशिक रुप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.06.2015 अपास्त किये जाते हैं एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जावें। तहसीलदार विभाजन प्रस्ताव तैयार करने की तारीख तय कर उभयपक्ष को नोटिस जारी करेगें एवं विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में मय नजरी नक्शा व फर्द को तैयार करेगें एवं प्रत्येक सह–खातेदार के खेत तक पहुंचने का रास्ता एवं लगान के बंटवारे के प्रस्ताव भी अलग–अलग तैयार कर राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा जारी आदेश क्रमांक राम/न्याय/स्था/प–51/2008/विविध/10546 दिनांक 05.10.2020 में दिए गए निर्देशों एवं निर्धारित प्रारुप में स्वयं मौके पर जाकर तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित करेगें एवं तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सह–खातेदारान की आपत्तियों आक्षेपों पर सुनवाई कर नियमानुसार उनका निस्तारण करते हुए विभाजन की अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित करें।
11. निर्णय आज दिनांक 05.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।
12. आदेश की प्रमाणित प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावे।
13. पत्रावली में और कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसलशुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर